उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-90/2011-12

बीबी जुलेखा वगैरह

बनाम्

शेख लाल मोहम्मद वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक 15/11/17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलक्रर्ता बीबी जुलेखा पति—शेख सहाबुद्दिन वो मु0 जफीर वो मु0 आजाद पे0—स्व0 मजहरूद्दिन वो शेख वसीर वो नजीर पे0—स्व0 शेख दासो सा0—मलियाचक थाना—महागामा जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0—11/2008—09 के दिनांक—03.11.2011 के आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0—01 ने हाल सर्वे कार्यवाही के दौरान प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त संथाल परगना, दुमका के न्यायालय में मौजा—मलियाचक के जमाबंदी सं0—24 दाग नं0—134 रकवा 00—06—00 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल किया। प्रभारी पदाधिकारी, दुमका के द्वारा अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया तथा उत्तरवादी को दखल दिहानी दिलाया गया। प्रभारी पदाधिकारी, दुमका के आदेश से सहमत होकर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 67(2) के तहत जुर्माने लगाने का आदेश पारित करते हुए जुर्माना लगाने के लिए अनुशंसा किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का आदेश बिल्कुल तथ्य से परे एवं नियम के अनुकूल नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश पारित करने के पूर्व अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए था। जाँच प्रतिवेदन से ही स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण भूमिहीन व्यक्ति हैं एवं अपील वाद जमीन पर बनाये मकान के

अलावे उनलोगों का कोई दूसरा आवासीय मकान नहीं है तथा उस मकान पर वे लोग सपरिवार निवास कर रहें हैं। उनका आगे कथन है कि प्रभारी पदाधिकारी, दुमका के द्वारा उच्छेदी एवं दखल दिहानी का प्रक्रिया पूरा किया गया है और प्रभारी पदाधिकारी, दुमका के आदेश के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पारित किया गया आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्तागण के द्वारा लाया गया वर्तमान अपीलवाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रभारी पदाधिकारी बंदोवस्त, दुमका के आदेश का उल्लंघन करने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0–11/2008–09 के आदेश दिनांक–03.11.2011 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 67(2) के तहत अपीलकर्त्तागण के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए जुर्माना लगाने का अनुशंसा किया गया है। उनका आगे कथन है कि प्रभारी पदाधिकारी बंदोवस्त, दुमका के द्वारा अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया गया था इसके बावजूद भी अपीलकर्त्तागण के द्वारा जमीन खाली नहीं किया था, जिस कारण निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्तागण पर जुर्माना लगाने का अनुशंसा किया गया। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को नियमानुकूल बताते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करते हुए अपीलकर्त्तागण के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 67(2) के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता आयुक्त के रूप नियुक्त श्री दिलीप कुमार तिवारी एवं श्री योगेश चन्द्र झा का प्रतिवेदन प्राप्त है।

श्री दिलीप कुमार तिवारी का प्रतिवेदन है कि दिनांक–28.03.2017 के आदेश के आलोक में दिनांक–02.05.2017 को मौजा–मलियाचक नं0–621 जमाबंदी नं0–24 के दाग नं0–134 पर पहुँचा। दाग नं0–134 के अंदर जमीन जिसकी चौहदी–उ0–शेख लाल मोहम्मद(दाग नं0–135), द0–मो0 आजाद, पुर्व निर्मित आवासीय संरचना एवं सड़क एवं प0–बीबी जुलेखा का मकान मय सहन है, पर राज मिस्त्री एवं मजदुरों को

निर्माण कार्य करते पाया। निर्माणाधीन क्षेत्र के उत्तर पुर्व से मौजूदा दीवाल को ईंट जोड़कर उँचा उठाया गया है एवं नींव का कार्य पूर्ण कर नींव के उपर दीवाल दी जा रही थी। निर्माणाधीन क्षेत्र में पिलर के लिए छड़ की बंधाई की गई है। सड़क किनारे निर्माण सामग्री ईंट और बालू निर्माण कार्य हेतु रखा पाया। निर्माणाधीन क्षेत्र पर मो0 आजाद पेसर स्व0–मजहरूद्दिन ग्राम–मलियाचक थाना–हनवारा जिला–गोड्डा मौजूद थे, जिन्होंने निर्माण कार्य करना स्वीकार किया एवं बताया कि यह निर्माण कार्य वह करा रहें हैं और जमीन शेख लाल मोहम्मद ने उन्हें दी है और पूर्व निर्मित आवासीय संरचना के ध्वस्त हो जाने के कारण वह नयी आवासीय संरचना का निर्माण कर रहें हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मौजा–मलियाचक नं0–621 जमाबंदी नं0–24 के दाग नं0–134 के अंदर ग्राम–मलियाचक थाना–हनवारा जिला–गोड्डा के मो0 आजाद पेसर स्व0 मजहरूद्दिन द्वारा आवासीय संरचना का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

श्री योगेश चन्द्र झा का प्रतिवेदन है कि दिनांक–09.05.2017 आदेश के अनुपालन में दिनांक–28.05.2017 को मौजा–मलियाचक नं0–621 जमाबंदी नं0–24 के दाग नं0–34 पर पहुँचा वहाँ पर अगल बगल के ग्रामीणों मो0 जहीर, नारायण पासवान, मो0 मुख्तार के समक्ष स्थल निरीक्षण किया तथा पाया कि दाग नं0–134 पूरब–रोड एवं नजाम मड़र, पश्चिम–बीबी जुलेखा एवं नारायण पासवान, उत्तर–लाल मोहम्मद, दक्षिण–इमरान है पर लगभग 15 धुर पर आजाद पिता–मजहरूल हक का पूरब तरफ का 01 कोठली पक्का का पुराना मकान है। उसके सटे लगभग 30 फीट चौड़ा (चदरा) का छारा हुआ गलियारानुमा बरामदा है तथा उसके पीछे पश्चिम तरफ तीन कोठली पक्का का मकान है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा से भी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मलियाचक थाना सं0–621 जमाबंदी नं0–24 दाग नं0–134 के कुल रकवा 00–06–08 धुर किस्म धानी दोयम गत सर्वे खतियान में शेख मुसाय मंडल वल्द शेख वकशु मंडल कौम–शेख शा0 देह अंकित है। जिसका वंशावली निम्न प्रकार का है :–

रैयत :– मुसाय मंडल

↓

शेख अब्दुल

↓

शेख लाल मोहम्मद

आगे प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में अपीलकर्त्ता 1. बीबी जुलेखा के द्वारा 00–01–15 धुर जमीन पर लगभग एक कट्ठा जमीन पर मकान शेष जमीन पर चार दिवारी 2. मु0 फजिर के द्वारा 00–00–15 धुर जमीन पर मकान मय सहन 3. मु0 अजाद के द्वारा 00–00–15 धुर पर मकान मय सहन 4. मु0 वसीर के द्वारा 00–01–7.5 धुर पर मकान मय सहन 5. मु0 नजीर के द्वारा 00–01–7.5 धुर जमीन पर मकान मय सहन सपरिवार के साथ आवास कर रहें हैं। ग्रामीणों के साथ पुछ–ताछ करने से पता चला कि अपीलकर्त्ता के क्रमांक 01 से 05 तक का सभी परिवार लगभग 30–35 वर्षों से मकान बनाकर आवास करते आ रहें हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखवद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मलियाचक नं0–621 जमाबंदी सं0–24 दाग नं0–134 रकवा 00–06–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख मुसाय मंडल वल्द शेख वकशु मंडल के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, दुमका के वाद सं0–21/96, 22/96 एवं 23/96 के आदेश के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 67(2) के तहत अनुशंसा के साथ अपीलकर्त्तागण पर जुर्माना एवं सजा निर्धारित हेतु अभिलेख प्रेपित किया है। लेकिन अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता सं0–(1) बीबी जुलेखा 00–01–15 धुर जमीन में से रकवा 00–01–00 धुर पर मकान मय सहन एवं शेष जमीन पर चहार दिवारी (2) मु0 जफीर के द्वारा रकवा 00–00–15 धुर जमीन पर मकान (3) मु0 अजाद के द्वारा 00–00–15 धरु जमीन पर मकान मय सहन (4) मु0 वसीर के द्वारा 00–01–7.5 धुर जमीन पर मकान मय सहन (5) मु0 नजीर के द्वारा रकवा 00–01–7.5 धुर जमीन पर मकान मय सहन है एवं अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर बने मकान में सपरिवार निवास कर रहें हैं। प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, दुमका के आदेश के आलोक में निम्न न्यायालय के द्वारा आदेश

पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–11/2008–09 में दिनांक–03.11.2011 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

डी० वी० ध० ।। ४वि० दिनांक २१/०९/२१

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 14:11:41 +05:30
Location: 192.168.29.32